

मध्य प्रदेश लोक घोषा आयोग

क्रमांक ३३३७ / ०२/२०१६/ चयन /

इन्दौर, दिनांक

30 MAY 2016

// विज्ञापित //

विषय:- आयोग के विज्ञापन क्रमांक ०४/परीक्षा/२०१४/३०.१२.२०१४ के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के तहत सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल लिखित परीक्षा के परिणाम पश्चात् अभिलेख प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश ।

आयोग के विज्ञापन क्रमांक ०४/परीक्षा/२०१४/३०.१२.२०१४ के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के तहत सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। उपरोक्त पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक १७/०५/२०१६ को घोषित किया गया है। लिखित परीक्षा उपरांत सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल पद के साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार पूर्व आयोग की बेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in से व्यक्तिगत विवरण पत्रक, अनुप्रमाणन फार्म एवं उपस्थित पत्रक की प्रति डाउनलोड की जा सकती हैं।

०२/ निम्नलिखित दस्तावेज दिनांक २०.०६.२०१६ तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करना अनिवार्य है :-

०१. **व्यक्तिगत विवरण पत्रक** :- एक मूल प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना है।
०२. **अनुप्रमाणन फार्म** :- एक मूल प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना है।
०३. हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
०४. स्नातक प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक सेमेस्टर की अंकरूचियाँ एवं उपाधि की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
०५. मूल निवासी / स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति, उक्त प्रमाण पत्र में क्रमांक, एवं जारी करने का दिनांक एवं गोल सील अंकित होना अनिवार्य है, साथ ही जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम की सील अंकित होना अनिवार्य है।
०६. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक दर्ज होना अनिवार्य हैं जाति प्रमाण पत्र केवल म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया ही मान्य होगा।
०७. पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति)।

08. शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

09. सादे कागज पर घोषणा—पत्र जिसमें उल्लेख किया गया हो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से साक्षात्कार दिवस की अवधि तक संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग/विश्वविद्यालय तर पर किसी भी परीक्षा से विवर्जित नहीं किया गया है।

10. ऑनलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति ।

3/ आवेदकों द्वारा भेजे गये समस्त पत्रों की संवीक्षा की जावेगी, जिसमें यह देखा जावेगा कि आवेदक विज्ञापन में विज्ञापित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करते हैं अथवा नहीं, आवेदन पत्रों की संवीक्षा उपरांत जो आवेदक विज्ञापन में विज्ञापित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु अर्ह आवेदकों को साक्षात्कार पत्र पृथक से भेजे जावेगे। साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदकों को साक्षात्कार दिवस को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति निम्नानुसार प्रस्तुत की जाना होगी :-

01. हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा की अंकसूची ।

02. स्नातक प्रत्येक वर्ष की अंकसूचियाँ एवं उपाधि ।

03. मूल निवासी / स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

04. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

05. पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति) ।

06. व्यक्तिगत विवरण पत्रक की 05 छायाप्रति, अनुप्रमाणन फार्म की 02 मूल प्रति, उपस्थित पत्रक की 01 प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना है ।

4/ पैरा-2 में उल्लेखित दस्तावेज़ निर्धारित समय सीमा में आयोग को नहीं भेजे जाते हैं या आयोग को प्राप्त नहीं होते हैं तो यह माना जावेगा कि आप साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं एवं आपकी उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी ।

5/ पैरा-2 में उल्लेखित दस्तावेज़ दिनांक 20.06.2016 (शाम 05:30 बजे तक) तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें, अगर डाक विभाग की त्रुटि से या अन्य किसी कारणवश आपके द्वारा भेजे गये अभिलेख निर्धारित समय सीमा के पश्चात आयोग को प्राप्त होते हैं, तो इसके लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, आपकी साक्षात्कार की उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जावेगी ।



स्टाफ ऑफिसर